न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010045282026

Bail Application/1294/2026

Sahil Vs. State of U.P.

साहिल पुत्र श्री चेती उर्फ जहीर निवासी मौ0 सददीकपुरा , थाना पिलखुवा ,जिला हापुड ।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

मु0अ0सं0 109/2026
अ0 धारा 65(2),351(3),बी0एन0एस0
व 5–एम/6 पोक्सो एक्ट,
थाना पिलखुवा,जिला हापुड

24.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त साहिल पुत्र श्री चेती उर्फ जहीर की तरफ से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उपरोक्त केस में प्रार्थी/अभियुक्त को रजिशन झूठा फसाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नही किया है। उक्त घटना की प्र०सू०रि० 15 घण्टे 55 मिनट देरी से दर्ज कराई गई है जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी 01 कि०मी० है देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी भी नाबालिक लडकी के साथ कोई भी गलत काम/गन्दी हरकत नही की गयी है और न ही प्राईवेट पार्ट से कोई भी छेडछाड की गयी है तथा ना ही पीडिता के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी आम जनता का स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्ष्य नही है। वादनी मुकदमा ने अपनी तहरीर में अपनी बेटी ''ए'' को दिनांक 02.03.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त के घर जाना बताया है जबकि किसी भी व्यक्ति द्वारा कथित पीडिता को प्रार्थी/अभियुक्त के घर जाते हुए नहीं देखा है। इस प्रकार तथाकथित घटना मौहल्ले पडोस की होने के बावजूद प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आम जनता का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नही है। जिससे भी पूर्णतः सिद्ध होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त केस की

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.01 12:25:36 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

पीडिता के मेडिकल में कोई आन्तरिक व बाहरी चोट नही है। जिससे घटना स्वयं संदिग्ध प्रतीत होती है। पीडिता के साथ यौन हिंसा के सम्बन्ध मे मेडिकल रिपोर्ट Confirm नही है। पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि पीडिता को मासिक धर्म (पीरियडस) 11 वर्ष की उम्र से शुरू हो गये थे तथा पीडिता के मेडिकल में गुप्तांग पर Redness and Tender होना बताया गया है जो कि मासिक धर्म (पीरियडस) के दौरान संक्रमण से या साफ सफाई न करने से हो जाती है। प्रार्थी/अभियुक्त के आन्तरिक व वाहय मेडिकल में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी के नाबालिग लडकी के साथ गलत / गन्दा काम करने की पुष्टि नही हुई है। वादनी मुकदमा द्वारा पीडिता के कपड़ों पर प्रार्थी/अभियुक्त के वीर्य ही छिटे होना बताया गया है जिसकी पुलिस जांच के दौरान कोई मेडिकल रिपोर्ट से कोई पुष्टि नहीं हुई है। जिससे स्पष्ट है कि वादनी मुकदमा ने सिर्फ जबरन अवैध रूप से रूपने ऐठने की नियत से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर कहानी गढ़ कर प्रार्थी/अभियुक्त पर उपरोक्त फर्जी झूठा मुकदमा लगा दिया है। पीडिता का आन्तरिक व वाहय मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉ० हनीफा ने पुलिस जांच के दौरान अपने ब्यानों में आलिया की जगह सानिया का चिकित्सीय परीक्षण करने की बात कही है तथा अपनी अन्तिम राय पीडिता की FSL Report आने के बाद ही बताने की बात कही है। जिससे स्पष्ट है कि वादनी मुकदमा ने पुलिस व डॉक्टर से साठ–गाठ करके पीडिता का फर्जी व झूठा मेडिकल बनवा कर प्रार्थी / अभियुक्त को उक्त झूठे केस में फंसा दिया है। वादनी मुकदमा एक चालाक व अपराधिक किस्म की महिला है जिसके पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है तथा वादनी मुकदमा द्वारा अवैध रूप से धन की उगाही व रूपये ऐठने के लिये पहले भी अपनी बेटी आलिया के माध्यम से अन्य लोगों पर पोक्सों एक्ट के तहत मुकदमें दर्ज कराये गए है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित एवं सम्पन्न परिवार से है तथा वादनी मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार वालों पर अपनी बेटी आलिया की शादी प्रार्थी/अभियुक्त से कराने का बार बार दबाव बनाती रहती थी जिसको लेकर दोनों परिवारों में कहा–सुनी हो गयी थी तथा प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार वालों ने यह कहते हुए स्पष्ट मना कर दिया था कि अभी आपकी बेटी नाबालिग है हम शादी नही कर सकते, इसी से क्षुब्ध व क्रोधित होकर वादनी ने प्रार्थी/अभियुक्त को अंजाम भुगत लेने की धमकी दी थी। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त केस में वादनी मुकदमा द्वारा पुलिस से साठ–गाठ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल खुनदस निकालने के लिये उपरोक्त

केस में अ०धारा 65(2), 351 (3) बी०एन०एस० एवं 5एम/6 पोक्सों एक्ट थाना पिलखुवा मे गलत तरीके से आरोपित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का दूर दूर तक उक्त मामले / केस से कोई मतलब व वास्ता नही है। प्रार्थी/अभियुक्त धौलाना मंडी में फल की ठेली लगाता है। पुलिस द्वारा जिस समय तथाकथित घटना घटित होना बताया गया है उस दिन प्रार्थी/अभियुक्त अपने काम पर धौलाना मंडी में था। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस दिनांक 02.03.2026 को जबरदस्ती घर से पूछताछ के बहाने उठाकर से गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस से बार बार अपनी लोकेशन निकलवाने की बात कही गयी लेकिन पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त की बात नही सुनी तथा प्रार्थी/अभियुक्त पर मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त फर्जी व झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया। पुलिस द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त तथाकथित घटना के समय घटना स्थल पर था जबकि पुलिस द्वारा अपनी जांच में प्रार्थी/अभियुक्त की ना तो कोई लोकेशन दिखायी गयी है और न ही कोई भी Call Detail Record (CDR) दिखायी गयी है तथा न ही कोई ऐसी CCTV फुटेज दाखिल की गयी है जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ तथाकथित घटना कारित की गयी हो, जिससे स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा सिर्फ वाह–वाही लूटने के लियें उपरोक्त फर्जी व झूठा मुकदमा को प्रार्थी/अभियुक्त पर मनगढन्त तथ्यों के आधार पर लगा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की मौके से गिरफ्तारी नही है तथा पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी पिलखुवा स्थित खेडा गेट से दर्शायी गयी है यहां पब्लिक का आवागमन हर वक्त रहता है फिर भी प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ पुलिस द्वारा जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नही दर्शाया गया है। पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 02.03.2026 को जबरदस्ती उसके घर से उठा कर ले गयी थी तथा दिनांक 06.03.2026 को पुलिस द्वारा अपनी केस डायरी मे प्रार्थी/अभियुक्त को पिलखुवा स्थित खेडा गेट से गिरफतार करके जेल भेजना बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि पुंलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को अवैध रूप से 4 दिन तक थाने मे रखकर प्रार्थी/अभियुक्त को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया तथा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त झूठा व फर्जी मुकदमा लगाकर प्रार्थी/अभियुक्त को जेल भेज दिया। पुलिस द्वारा जो जांच आख्या व आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया है वह बहुत ही जल्द बाजी में सही जांच न करतें हुए प्रेषित किया गया है। सिर्फ अभियोजन के कहने मात्र से दाखिल की गयी है। पुलिस द्वारा जिस तरीके से

कहानी रची गयी है कि प्रार्थी/अभियुक्त घटना को अंजाम देकर भाग गया था। यह किसी भी सूरत में सम्भव नही है । सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा वाह–वाही लूटने व उपरोक्त घटना को फर्जी तरीके से खोलने की नियत से प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनाक 06.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। प्रार्थी/अभियुक्त के भागने एवं गवाहान सबूत पक्ष को तोड़ने का कोई अन्देशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक व वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि अभियुक्त का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। उक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' प्रार्थनी सलमा पत्नी भूरे मौ० सद्दीकपुरा पिलखुवा जिला हापुड की निवासी है। मेरे पडोस में रहने वाले साहिल पुत्र चेती उर्फ जहीन ने मेरी 11 वर्षीय पुत्री ''ए'' को किसी बहाने से अपने घर मे बुलाया ''ए'' के साथ जबरदस्ती सम्बन्ध बनाने की कोशिश की उसके गुप्तांग मे जबरदस्ती लिंग प्रवेश कराने की कोशिश की जिसके निशान मेरी बेटी के कपडो पर लग गये। यह घटना कल दिनांक 02.03.2026 की है । उसके बाद शाहिल ने मेरी बेटी को किसी को बताने पर पुरे परिवार को जान से मारे की धमकी दी श्रीमान जी मै थाने आयी हूँ मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।''

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियेाजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

सुनने एवं पत्रावली /केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पर वादिनी की अव्यस्क 11 वर्षीय पुत्री ''ए'' के साथ बलात्संग /प्रवेशन लैंगिक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप है । केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीडिता द्वारा अपने बयान अ0धारा 183

बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि –'' दिनांक 02.03.2026 को शाम के 06.00 पीएम पर मैं अपने मामा की लडकी अल्फिया के साथ अपने घर के बाहर खेल रही थी। मेरे पडोस में रहने वाली महक ने आकर मुझसे कहा मेरे पास एक चीज है तुम मेरे घर चलो । मै उसके घर के अन्दर चली गयी मुझे अन्दर छोडकर महक घर से बाहर आ गयी । मै उसके पीछे जाने लगी इतने में उसके भाई साहिल ने आकर अन्दर से किवाड लगा दिया । साहिल ने मेरा मुहँ बन्द करके मुझे धमकी दी कि अगर तूने किसी से मेरे बारे मे कुछ बताया तो मै तुम्हारी माँ और भाई को गोली से उडा दूँगा फिर उसने मेरा सूट और ट्राऊजर घुटने तक का उतार दिया और अपनी पैन्ट उतार दिया । फिर उसने मेरे पेशाब करने की जगह पर अपनी पेशाब करने की जगह को बार बार लगाने हटाने लगा फिर मेरे से चिपट कर गले लगकर भींचा भांची कर रहा था फिर उसने अपने पिशाब करने की जगह से मेरे पेशाब करने की जगह को और मेरे कपडो को गीला कर दिया था किसी सफेदी सी चीज से मुजे गीला कर दिया। मुझे खून नही आया था उसी सफेद चीज से मेरे कपडे भी गीले हो गये थे।'' इस प्रकार पीडिता ने स्पष्ट रूप से अपने बयान अ0धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गये आपराधिक कृत्य बलात्संग/ प्रवेशन लैंगिक हमला करने का कथन किया है । मामला पोक्सो अधिनियम के जघन्य अपराध से सम्बन्धित है । अभियुक्त का कृत्य अत्यन्त गंभीर व जघन्य प्रकृति का है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त साहिल पुत्र श्री चेती उर्फ जहीर का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 109/2026 ,अ0 धारा 65(2),351(3),बी0एन0एस0 व 5–एम/6 पोक्सो एक्ट, थाना पिलखुवा , जिला हापुड के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।